क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नाम– प्रसव पूर्व लिंग जाँच (दुरूपयोग निवारण अधिनियम) (PNDT)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष– Monitoring visits by district monitoring team

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या– A.7.2.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

शिक्षा के प्रसार के साथ–साथ एक तथ्य जो स्पश्ट परिलक्षित हो रहा है वह है लड़के के जन्म को विशेष प्राथमिकता देना एवं बच्चियों की संख्या में निरंतर आती गिरावट । जैसा कि आप अवगत है, बिहार राज्य में महिला लिंग अनुपात 919 (सेंसस 2001) से 916 (सेंसस 2011) हो गया है एवं कन्या लिंग अनुपात (0 से 6 वर्ष) जो 942 (सेंसस 2001) था वह 933 (सेंसस 2011) हो गया है । यह अत्यंत चिन्तनीय विशय है।

विज्ञान में होने वाली प्रगति एवं अल्ट्रासाउंड की वर्तमान तकनीक में आता हुआ निरंतर विकास भी लिंगानुपात में आती गिरावट के लिए जिम्मेवार है । इस विषय का बहुत गंभीरता से निराकरण करने की आवश्यकता है । स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि के रूप में जहाँ एक ओर हमें सामाजिक स्तर पर लड़के एवं लड़की में विभेद करने के विरूद्ध जागरूकता लानी है वहीं अपने तंत्र को भी सशक्त बनाते हुए पी0सी0 एवं पी0एन0डी0टी0 संबंधित कानून को सख्ती से लागू करने की व्यवस्था भी करनी है ।

वित्तीय दिशा निर्देश

जिला अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण टीम के द्वारा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कार्य : पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 एक्ट को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु जिला समुचित प्राधिकार की अध्यक्षता में चार सदस्यों की टीम गठित कर जिसमें स्थानीय स्तर पर पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 क्षेत्र में कार्य करने वाला कुशल स्वंयसेवी संस्था, संबंधित जिलों के अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाना है । साथ ही पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 एक्ट का पूर्ण रूप से पालन नहीं करने वाले अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों के विरूद्ध नियमानुसार कानुनी कार्रवाई की जानी है । प्रत्येक जिले के टीम के द्वारा वर्ष में 12 पर्यवेक्षण किया जाना है एवं प्रति पर्यवेक्षण 4000/– रूपये के दर से 12 पर्यवेक्षण हेतु 48000/– रूपये प्रति जिला उपलब्ध कराया जा रहा है । अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु मासिक कार्ययोजना वर्ष के प्रारंभ में बना ली जायेगी तथा प्रत्येक माह के अंत में अनुश्रवण संबंधित प्रतिवेदन राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को प्रेषित करना अनिवार्य होगा ।

इकाई राशि (रू० में)– 4000/– रूपये प्रति पर्यवेक्षण

इस संदर्भ में पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या एवं तिथि :

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम–डा० एन0 के0 मिश्रा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर–9470003022

13/7/13